## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
## जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिंह, (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :— 73/2020

| **वादी** | **बनाम** | **प्रतिवादीगण** |
|---|---|---|
| सीता पुत्री डांवरराम पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति सीरवी निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा हाल निवास नाथद्धारा के पास कस्बा एवं तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा<br>2. चैनाराम पुत्र श्री डांवरराम<br>3. रमे”ा पुत्र श्री डांवरराम जातियान सीरवी निवासीगण ब्राहम्णों का बास पिचियाक तहसील बिलाड़ा<br>4. भंवरीदेवी पुत्री श्री डांवरराम पत्नी श्री रतनसिंह जाति सीरवी निवासी बेरा हाम्बड़ो का मगरिया बाणगंगा रोड़ वार्ड सं. 1 बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर<br>5. मोवनीदेवी पुत्री श्री डांवरराम पत्नी श्री बाबुलाल जाति सीरवी निवासी पानी की बड़ी टंकी के पास, ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर<br>6. मैनादेवी पुत्री श्री डांवरराम पत्नी श्री मंगलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा काबल, ग्राम पिचियाक से खारिया मीठापुर बाईपास रोड़ पर बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर |

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955**
**बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती**

उपस्थिति :— वादी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पैरोकार
प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

**निर्णय** **दिनांक :—**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:55:04 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में मामले के तथ्य [illegible] प्र[illegible] है कि ग्राम बंध जसवन्तसागर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा [illegible]59/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर किस्म कच्छार

अवल व खसरा संख्या 659 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म कच्छार दोयम आई हुई है। खसरा संख्या 659/2 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 659 का 1/10 वॉ हिस्सा पूर्व में खातेदार जमनाई पत्नी डांवरराम सीरवी के नाम से गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। खातेदार जमनाई वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 की माता है। जिनका स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार जमनाई फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 1608 द्वारा खसरा नम्बर 659/2 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 659 का 1/10 वॉ हिस्सा की भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम से गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई है। तब से लेकर आज दिन तक खसरा नम्बर 659/2 का सम्पूर्ण रकबा व खसरा नम्बर 659 का 1/10 वॉ हिस्सा की भूमि वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के नाम से गैर खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है। जिसके संबंध में उक्त दोनो खसरान की चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 की नकल वाद पत्र के साथ पे”ा है। फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 1608 की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा खातेदार जिमनाई का फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 1608 दर्ज करवाते समय वादीया का घर पर प्यार व स्नेह से पुकारा जाने वाला नाम गुड्डीदेवी दर्ज करवा दिया जिसके कारण उक्त फौतेदगी म्यूटे”ान संख्या 1608 के अनुसार वादीया का नाम उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में गुड्डीदेवी दर्ज चला आ रहा है। जबकि वादीया का सही नाम सीता है। जिसके संबंध में वजह सबूत वादीया का आधारकार्ड, पहचान पत्र, जनआधारकार्ड, बैक ऑफ बड़ौदा की डायरी, इत्यादि दस्तावेज वाद पत्र के साथ पे”ा है। उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेज में वादीया का सही नाम सीता दर्ज है। इसके अलावा खसरा नम्बर 659 के चालु जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिव”ा वादीया की सही जाति खारड़िया सीरवी के स्थान पर जाट जाति दर्ज व अंकित करवा दिया। जबकि म्यूटे”ान संख्या 1608 में उपरोक्त खसरा संख्या 659 के संबंध में दर्ज इन्द्राज में वादीया की सही जाति सीरवी दर्ज है। वादीया के उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि के संबंध में राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम गुड्डीदेवी के कारण वादीया किसी भी प्रकार की सरकारी सुविधा व ऋण इत्यादि उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि में निहित व दर्ज अपने हक व हिस्से के संबंध में प्राप्त नही कर पा रही है क्योकि सरकारी सुविधाओं को व ऋण इत्यादि को प्रदान करने हेतु आव”यक दस्तावेज के रूप में उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेजात सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांगे जाते है तथा उपरोक्त सभी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नाम सीता व राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम गुड्डीदेवी एक समान नही है व न ही आपस में मिलान करता है। वादीया राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम व गलत जाति को दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 के पास आज से लगभग 8 माह पूर्व गई तो प्रतिवादी संख्या 1 ने रेकर्ड दुरूस्ती से यह कहते हुए मना कर दिया कि रेकर्ड दूरूस्ती हेतु श्रीमान सक्षम है तब वादीया ने दिनांक 06.02.2020 को माननीय न्यायालय में खसरा नम्बर 659/2 में दर्ज गलत नाम गुड्डीदेवी के स्थान पर सीता शुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत पे”ा किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदे”ा दिनांक 09.09.2020 द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि नामान्तरकरण मे प्रार्थीया का नाम गुड्डीदेवी दर्ज है एवं उसी अनुरूप जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया। इसलिए राजस्व रेकर्ड के संधारण में किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटी होना नही पाया गया। इसलिए वादीया उक्त दोनो खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज गलत नाम गुड्डीदेवी के स्थान पर अपना सही नाम सीता दूरूस्त व घोषित करवाना चाहती है तथा खसरा नम्बर 659 की चालु जमाबन्दी में वादीया का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:04 IST
Reason: SelfAttested

लिपिकीय त्रुटीव"ा दर्ज गलत जाति जाट के स्थान पर सही जाति खारड़िया (सीरवी) दुरूस्त करवाना चाहती है इस हेतु यह वाद बाबत् दूरूस्ती एवं घोषणा हतु माननीय न्यायालय के समक्ष पे"ा है। अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बंध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीया के गलत नाम गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/6 जाति सीरवी के स्थान पर सही नाम सीता पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/6 जाति सीरवी व खसरा नम्बर 659 रकबा 0.2023 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीया के गलत नाम व जाति गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/60 जाति जाट के स्थान पर सही नाम व जाति सीता पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/60 जाति खारड़िया (सीरवी) दूरूस्त व घोषित किये जाने का आदे"ा/डिक्री फरमावे। मुताबिक आदे"ा/डिक्री के अनुसार इन्द्राज दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को आदे"ाित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के सम्मन बाद तामिल पे"ा हुए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बंध जसवन्तसागर के जमाबन्दी चौसाला 2073 से 2077 के खाता संख्या 333 खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर चैनाराम पुत्र डांवरराम 1/6 हिस्सा, रमे"ा पुत्र डांवरराम 1/6 हिस्सा, मोवनी पुत्री डांवरराम 1/6 हिस्सा, भंवरीदेवी पुत्री डांवरराम 1/6 हिस्सा, मैनादेवी पुत्री डांवरराम 1/6 हिस्सा, गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम 1/6 हिस्सा जाति सीरवी के नाम दर्ज है व उक्त खातेदारों के नाम नामा. संख्या 1608 जमनाई पत्नी डांवरराम के फौत होने पर दर्ज हुए है। खाता संख्या 364 खसरा नम्बर 659 रकबा 0.2023 हैक्टेयर चैनाराम पुत्र डांवरराम 1/60 हिस्सा, रमे"ा पुत्र डांवरराम 1/60 हिस्सा, मोवनी पुत्री डांवरराम 1/60 हिस्सा, भंवरीदेवी पुत्री डांवरराम 1/60 हिस्सा, मैनादेवी पुत्री डांवरराम 1/60 हिस्सा, गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम 1/60 हिस्सा अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज है। उक्त नाम विरासत नामा. संख्या 1608 जमनाई पत्नी डांवरराम के फौत होने से दर्ज हुए है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज रा"ानकार्ड, आधारकार्ड इत्यादि पे"ा कर अपना नाम गुड्डीदेवी के स्थान पर सीता होना बताया। पद संख्या 3, 6 न्यायिक प्रक्रिया है। पद संख्या 4, 7 कानूनी है। पद संख्या 5 वादीया स्वयं साबित करे। पद संख्या 8 वादीया द्वारा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में नाम गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम जाति जाट के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम जाति सीरवी दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ है। अन्त मे जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व रेकर्ड ग्राम बंध जसवन्तसागर तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज वादीया के गलत नाम गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम 126 हिस्सा जाति सीरवी के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम 1/6 जाति सीरवी व खसरा नम्बर 659 रकबा 0.2023 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया के गलत नाम व जाति गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम 1/60 के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम 1/60 जाति खारडिया (सीरवी) किया जाता है तो भूमिधारी को कोई आपति नही है। प्रतिवादी संख्या 2 से 6 को उपस्थिति हेतु अवसर प्रदान किया गया और बार बार रूक रूक कर आवाजे लगवायी गयी लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 से 6 स्वयं अथवा इनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध तारीख पे"ी दिनांक 10.02.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:04 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दावा को स्वीकार करने तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आव"यकता नहीं होन से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी का साक्ष्य शपथ पत्र रेकर्ड पर लिया गया। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रद"ा 1 खाता संख्या 331 की जमाबन्दी, प्रद"ा 2 खाता संख्या 364 की जमाबन्दी, प्रद"ा 3 आधारकार्ड, प्रद"ा 4 पहचान पत्र, प्रद"ा 5 जन आधार कार्ड, पद"ा 6 बैक ऑफ बड़ौदा की डायरी, प्रद"ा 7 म्यूटेशन संख्या 1608 की प्रति, प्रद"ा 8 न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.09.2020 की प्रति आदि पे"ा किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादी के सरकारी दस्तावेजात में वादी का नाम सीता दर्ज है जबकि राजस्व रेकर्ड में वादी की खातेदारी गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम के नाम से दर्ज है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहो है तथा केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान रा"ा प्राप्त नही कर पा रही है। इस कारण वादी के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम सीता पुत्री डांवरराम की घोषणा तथा खाता संख्या 364 के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 में दर्ज अपनी जाति जाट के स्थान पर खारड़िया (सीरवी) कराने को अधिकारी है। इसलिए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बन्ध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 331 के खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त गैर खातेदार गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/6 के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/6 की घोषित की जाती है तथा ग्राम बन्ध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 364 के खसरा नम्बर 659 रकबा 0.2023 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त गैर खातेदार गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम जाति जाट हिस्सा 1/60 के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम जाति खारड़िया (सीरवी) हिस्सा 1/60 की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे"ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल"ुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:04 IST
Reason: SelfAttested

**अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई**
**(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **भवानी सिंह, आर.ए.एस.**

| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| सीता पुत्री डांवरराम पत्नी देवेन्द्रसिंह जाति सीरवी निवासी ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा हाल निवास नाथद्धारा के पास कस्बा एवं तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा<br>2. चैनाराम पुत्र श्री डांवरराम<br>3. रमे"ा पुत्र श्री डांवरराम जातियान सीरवी निवासीगण ब्राहम्णों का बास पिचियाक तहसील बिलाड़ा<br>4. भंवरीदेवी पुत्री श्री डांवरराम पत्नी श्री रतनसिंह जाति सीरवी निवासी बरा हाम्बड़ो का मगरिया बाणगंगा रोड़ वार्ड सं. 1 बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर<br>5. मोवनीदेवी पुत्री श्री डांवरराम पत्नी श्री बाबुलाल जाति सीरवी निवासी पानी की बड़ी टंकी के पास, ग्राम पिचियाक तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर<br>6. मैनादेवी पुत्री श्री डांवरराम पत्नी श्री मंगलाराम जाति सीरवी निवासी बेरा काबल, ग्राम पिचियाक से खारिया मीठापुर बाईपास रोड़ पर बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर |

**दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955**
**बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकर्ड दुरूस्ती**

राजस्व वाद संख्या :– 73/2020

निर्णय दिनांक :–

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 सरकारी पेरोकार उपस्थित, एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर हुक्म दिया जाता है कि [illegible] का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम ग्राम बन्ध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा के [illegible] संख्या 331 के खसरा नम्बर 659/2 रकबा 1.1002 हैक्टेयर के [illegible] संयुक्त गैर खातेदार गुड्डीदेवी पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:04 IST
Reason: SelfAttested

डांवरराम हिस्सा 1/6 के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम हिस्सा 1/6 की घोषित की जाती है तथा ग्राम बन्ध जसवन्त सागर तहसील बिलाड़ा के खाता संख्या 364 के खसरा नम्बर 659 रकबा 0.2023 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त गैर खातेदार गुड्डीदेवी पुत्री डांवरराम जाति जाट हिस्सा 1/60 के स्थान पर सीता पुत्री डांवरराम जाति खारड़िया (सीरवी) हिस्सा 1/60 की घोषित की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदे”ा प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

| मुदायराह | रूपया | पैसे | मुदायराह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | वजह सबूत महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमि”नर | | | फीस कमि”नर | | |
| बाबत् इजराज हुक्मनामा | | | बाबत् हुराय हुक्मनामा | | |
| मुतफरिक | | | मुतफरिक | | |
| | | | दर0 तलबाना | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:15:04 IST
Reason: SelfAttested